न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई॰ए॰एस

प्रकरण संख्या **46 / 2017** अपील (राजस्व)

श्री रविशंकर पिता ज्ञानशंकर जी ब्राम्हण, निवासी मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

—— **अपीलान्ट**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला— उदयपुर

—— **रेस्पोडेन्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम विरूद्ध तहसीलदार मावली, तारीख 11.08.17 (वास्तविक तारीख 11.09.17) मुकदमा संख्या 628 / 2017 ना.क.

उपस्थित : श्री खेमराज डांगी, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री मनोज कुमार पॅवार, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः—31.10.2017

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार मावली के प्रकरण संख्या 628 / 17 नाजायज कब्जा निर्णय दिनांक 08.03.17 से नाराज होकर अपील प्रस्तुत की गई थी। जिस पर न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारानो को सुनकर अपने आदेश दिनांक 18.04.17 से पत्रावली इन निर्देशो के साथ में पुनः प्रतिप्रेषित की गई कि अपीलार्थी को साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान कर मौके की वस्तुस्थिति की जॉच संयुक्त टीम द्वारा करवाकर नये सीरे से गुणावगुण पर निर्णय किया जावें।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 628 / 17 से प्रकरण में नये सीरे से दिनांक 11.08.17 से आदेश पारित कर

मौजा मावली की आराजी संख्या 1633 किस्म सड़क में अपीलार्थी को अतिक्रमी मानते हुए अतिक्रमण को ध्वस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। जिससे रूष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा पुनः अपील प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया कि मौजा मावली की आराजी संख्या 1633 किस्म सड़क पर 10×20 फीट का बिना छत का कच्चा ढांचा नहीं बनाया गया है नाही कोई नाजायज कब्जा किया गया हैं। इसके उपरान्त भी पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में बाड़ कच्ची चार दिवारी व बिना छत का कच्चा झर झर ढांचा बताया हैं। उक्त ढांचा आराजी संख्या 1633 में नहीं होकर आराजी संख्या 1641 में हैं। जिसके साबिक आराजी संख्या 586 हैं। जो अपीलान्ट व उसके भाई दिनेशशंकर, संतोषशंकर, विनोदशंकर के खातेदारी व आधिपत्य की हैं तथा जिस पर बाड़, कच्ची चार दिवारी व 10×20 फीट का बिना छत का कच्चा झर झर ढांचा बताया गया हैं। वह अपीलान्ट के दादा मोतीशंकर जी द्वारा उनके जीवनकाल में ही सन् 1952 में आबादी में परिवर्तन करवा बनाया गया था। जो उत्तरोत्तर काबिज चले आ रहे हैं। उक्त ढांचे (मकान) को 1952 में बनाया गया हैं। जो बाद में चंदनमल कलाल को किराये पर दिया था। जिसे चंदनमल कलाल द्वारा खाली नहीं करने पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट मावली में मुकदमा 47/67 ई.दी. किया गया था। जिस पर दावा डिक्री हुआ। जिसकी अपील श्री कलाल द्वारा अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश उदयपुर के न्यायालय में किये जाने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 05.09.81 को खारीज कर दी गई। जिसके विरूद्ध द्वितीय अपील श्री कलाल द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में की गई। जिसमें बहस के दौरान दोनो पक्षो द्वारा आपसी सहमती दिये जाने पर दिनांक 30.06.07 तक कब्जा सिपुर्द करने व एक माह के अन्दर चढा किराया अदा करने की डिक्री दी गई। साबिक आराजी संख्या 586 जिसके हाल आराजी

संख्या 1641 है जिसको आबादी में भी परिवर्तित करायी गई। आराजी संख्या 1641 के उत्तर में रास्ता हैं। रास्ते के उत्तर में रेल्वे की बाउण्ड्रीवाल बनी हुई हैं। लेकिन अभी रेल्वे विभाग द्वारा रास्ते की भूमि के दक्षिण में अपने लोहे के मुण्डे (टुकड़े) लगा दिये है जिस कारण तहसीलदार द्वारा अब रास्ता अपीलांट व उसके भाईयो की भूमि को आराजी संख्या 1633 बताकर कथित कार्यवाही की जा रही हैं। जबकि उत्तर दिशा में बड़ी बड़ी बाड़ वर्षो पुरानी बनी हुई हैं। वर्षो पुराने पेड़ खड़े हैं। झर झर ढांचा जो बताया जा रहा हैं। वह अपीलान्ट की बाउण्ड्री के अन्दर हैं। इसके बावजुद भी 1633 आराजी संख्या बताकर बेदखली के आदेश दिये जा रहे हैं। पुर्व में भी दिनांक 19.06.76 को मौके की जो रिपोर्ट बनायी गई थी उसके आराजी संख्या भी 586/1 की बनायी गई थी जिसके हाल नम्बर 1641 हैं। बिना अधिकार के तहसीलदार को रास्ता निकालने का कोई अधिकार नहीं हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही करवा नाजायज कब्जे की कार्यवाही की गई हैं। जबकि टीम ने मौके पर आकर कोई जॉच नहीं की ना अपीलान्ट को बुलाया। नाही पुराने कब्जे के संबंध में कोई रिपोर्ट ली। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मिलीभगत से रिपोर्ट बनाकर पत्रावली में शामिल कर दी। जमीन की नपती पुख्ता निशान से अपीलार्थी की मौजुदगी में करायी जाती तो वस्तुस्थिति अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आ जाती विवादीत भूमि पर सभी भाईयो का कब्जा चला आ रहा हैं। जिसके उपरान्त भी अपीलान्ट को अकेले को ही नोटिस क्यो दिया गया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का कथित निर्णय निरस्त फरमाया जावें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान पैरोकार सरकार द्वारा अपील का जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

उभक्षपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन निवेदन किया कि जिस झर झर ढांचे को आराजी संख्या 1633 में बताया जाकर अतिक्रमण की कार्यवाही किया जाना बताया जा रहा हैं वह ढांचा 1952 में अपीलार्थी को पुर्वाधिकारीयो द्वारा बनाया गया था। मौजा मावली की आराजी संख्या 1641 अपीलान्ट व उसके भाईयो के खातेदारी से दर्ज हैं। इस भूमि के उत्तर में रास्ता हैं। रास्ते व खातेदारी भूमि के बीच में काफी पुरानी बाड़ लगी हुई है उस बाड़ में वर्षो पुराने वृक्ष स्थित हैं। वास्तविकता यह है कि उत्तर की तरफ जो रास्ता स्थित है उसके बाद में रेल्वे विभाग की बाउण्ड्री बनी हुई हैं। रेल्वे विभाग द्वारा रास्ते की भूमि के दक्षिण में लोहे के गडर लगा दिये हैं। जिस कारण से रास्ता सकड़ा हो गया हैं। जबकि आराजी संख्या 1633 का कोई भी हिस्सा अपीलार्थी के कब्जे में नहीं हैं। यदि तहसीलदार मावली द्वारा किसी पुख्ता निशान से जमीन की सम्पूर्ण नपती करवायी जाती तो दुध का दुध व पानी का पानी सामने आ जाता। इनके द्वारा ऐसा नहीं कर गुप चुप तरीके से कागजो में एक संयुक्त कमेटी का गठन कर रिपोर्ट अपने स्तर से बनवाकर पत्रावली में शामिल करवा ली। जबकि अपीलार्थी को संयुक्त कमेटी के गठन के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई। नाही अपीलार्थी की उपस्थिति में ही कोई कार्यवाही की गई अधिनस्थ न्यायालय को सम्पूर्ण भूमि की मुस्तकील पोईन्ट से सर्वे कर ही सम्पूर्ण स्थिति की सही स्थिति ज्ञात कर ही कार्यवाही करनी चाहिये। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं कर पटवारी की रिपोर्ट को आधार बनाकर बेदखली के आदेश पारीत कर दिये गये। संयुक्त टीम द्वारा आराजी संख्या 1641 में स्थित झर झर ढांचे को दो गट्टे आगे बढाकर आराजी संख्या 1633 रास्ते तक बढा दिया हैं। जबकि अपने आदेश में पुराने ढांचे को विध्वंस करने का आदेश नहीं देकर अतिक्रमण को ध्वस्त करने का

आदेश दिया हैं। जो अस्पष्ट वेग हैं वह बिना अधिकार के हैं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रकरण में हम सब भाईयो को पक्षकार संयोजित करते हुए तहसीलदार मावली की उपस्थिति में सम्पूर्ण भूमि की पैमाईश करवाकर वस्तुस्थिति की जानकारी की जाकर ही आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को पाबन्द कराना फरमावें।

विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा अपीलार्थी के कथनो का विरोध करते हुए निवेदन किया कि पूर्व के आदेश की अनुपालना में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक संयुक्त जॉच टीम बनाकर मौके की जॉच करवाकर उसके आधार पर अपीलार्थी का आराजी संख्या 1633 किस्म सड़क में दो गट्टे बढकर अतिक्रमण कर कब्जा किया गया हैं। उसी रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी को सुनकर उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर गुणावगुण पर आदेश पारित किया गया हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिक प्रावधानो के तहत दिया गया हैं जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप किये जाने की कोई गुंजाईश नहीं हैं। अतः अपील अपीलार्थी इसी स्तर पर खारीज करना फरमावें।

प्रकरण में बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहन अध्ययन किया गया। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि संयुक्त जॉच दल द्वारा आराजी संख्या 1633 में दो गट्टे आगे बढकर जो झर झर ढांचा बनाया गया है वह ढांचा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार 1952 में बनना बताया जा रहा हैं। तो किस प्रकार से ढांचे को आराजी संख्या 1633 में दो गट्टा बताया जा रहा हैं। क्या अपीलार्थी द्वारा सम्पूर्ण रास्ते पर आराजी संख्या 1641 के उत्तर की सीमा में रास्ते पर अतिक्रमण किया है जिसका भी रिपोर्ट में अभाव हैं। साथ ही संयुक्त टीम द्वारा मौके की कार्यवाही की गई उस समय अपीलार्थी को तलब क्यो नहीं किया गया। अधिनस्थ न्यायालय से भी अपीलार्थी को इस बात की कोई सुचना नहीं दी गई। जबकि

मौके की कार्यवाही अपीलार्थी की उपस्थिति में की जानी नितांत आवश्यक हैं। साथ ही संयुक्त टीम द्वारा मौके की कोई सर्वे नहीं की गई। संयुक्त टीम द्वारा पुख्ता निशान से सम्पुर्ण भूमि की सर्वे अपीलार्थी की उपस्थिति में की जानी चाहिये थी एवं अतिक्रमित भूमि से अपीलार्थी को मौके पर ही बताना चाहिये था। जो कार्यवाही नहीं की गई।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.08.17 निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मावली को प्रेषित कर लिखा जाता है कि स्वयं या नायब तहसीलदार की उपस्थिति में टीम गठित कर मुस्तकील पोईन्ट से आराजी संख्या 1641, 1633 एवं आस पास की सभी आराजीयातो की सर्वे अपीलार्थी की उपस्थिति में की जाकर सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही अतिक्रमण की कार्यवाही सुनिश्चित की जावें। अपीलार्थी को सर्वे दिनांक व समय से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सूचित किया जावें।

निर्णय की प्रति मय तलबिदा पत्रावली पुनः अधिनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर